

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2930] No. 2930] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 30, 2018/श्रावण 8, 1940

NEW DELHI, MONDAY, JULY 30, 2018/ SHRAVANA 8, 1940

गृह मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2018

का.आ. 3716(अ).—केन्द्रीय सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 41 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 5 जून, 2018 की अधिसूचना सं. का.आ. 2291 (अ.) में एतदद्वारा निम्निलखित संशोधन करती है, अर्थातु:-

उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 2 को निम्नलिखित पैराग्राफ से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"2. सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित किसी अपराध अथवा अपराधों के संबंध में सारणी के स्तंभ (3) के अधीन परिकलित शास्ति की रकम अन्तर्ग्रस्त विदेशी अभिदाय के मूल्य से अधिक नहीं होगी।"

[फा. सं. II/21022/23(088)/2015-एफसीआरए-III(ए)]

संतोष शर्मा, निदेशक (एफसीआरए)

टिप्पणी: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में, दिनांक 5 जून, 2018 की अधिसूचना सं. का.आ. 2291(अ) के तहतु प्रकाशित की गई थी।

4373 GI/2018 (1)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS CORRIGENDUM

New Delhi, the 27th July, 2018

S.O. 3716(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 41 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number S.O. 2291(E), dated the 5th June, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), namely:-

In the said notification, for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"2. The amount of penalty computed under column (3) of the Table in respect of any offence or offences referred to in column (2) thereof shall not be more than the value of the foreign contribution involved."

[F. No. II/21022/23(088)/2015-FCRA-III(A)]

SANTOSH SHARMA, Director (FCRA)

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number S.O. 291(E), dated the 5^{th} June, 2018.